डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63] रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल 2001—चैत्र 28, शक 1923

पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ- 3-10/99-बत्तीस-2001/1179.—म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 जो कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंगीकार किया गया है, की धारा 23 (1), (2) के प्रावधानानुसार रायपुर विकास योजना का उपान्तरण प्रस्ताव कर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अधिनियम की धारा 18 (2) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई.

राज्य शासन म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) तथा 19 (3) की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन रायपुर विकास योजना 2011 (उपांतरित) को पूर्ण परीक्षण उपरांत अनुमोदित करता है.

उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत रायपुर विकास योजना 2011 (उपांतरित) को "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित किया जाता है अनुमोदित विकास योजना 2011 (उपांतरित) का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :—

1. कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कर्यालय, रायपुर (छ. ग.) .

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ. ग.)

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ. ग.)

यह विकास योजना म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश की धारा 19 की उपधारा (5) के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल, 2001

क्र. एफ-3-10/99-बत्तीस-2001/1179.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-10/99-बत्तीस-2001/1179 दिनांक 18 अप्रैल 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, उप-सचिव.

Raipur, the 18th April 2001

NOTIFICATION

No. F-3-10/99-XXXII-2001/1179.—Under the provision of Section 23 (1), (2) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, which has been adopted by Govt. of Chhattisgarh the Director Town and Country Planning has revised the Raipur Development Plan and the same has been submitted to the State Government for Approval under Section 18 (2) of the said Adhiniyam.

After giving full consideration and completing the action under Section 19 (2) & 19 (3), the State Government hereby accords approval to Development Plan 2011 (Revised) under the provision of Section 19 (1) of the said Adhiniyam. As per provision of the Section 19 (4) of the Adhiniyam, it is being published in the "Chhattisgarh Rajpatra".

The copy of the approved Development Plan shall be available during office hours for inspection in the office of the :—

1. Collector, District, Raipur, (C. G.)
2. Joint Director, Town and Country Planning, District Office, Raipur (C. G.)
3. Commissioner Municipal Corporation, Raipur (C. G.)
4. Chief Executive Officer, Raipur Development Authority, Raipur (C. G).

The Development Plan shall come into operation from the date of publication of the said notification in Chhattisgarh Rajpatra, as per the provision of sub-section (5) of Section 19 of M. P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. KEHRI, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.